झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

आपराधिक अपील (एस0जे0) सं0–1801 वर्ष 2017

1. सुशील शर्मा उर्फ सुहिल शर्मा
2. रघुबीर पंडित उर्फ रघुवीर पंडित .... अपीलार्थीगण

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य
2. माबेल खलको .... प्रत्यर्थीगण

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री अनंत बिजय सिंह

अपीलार्थीगण के लिए :– श्री अरविंद कु0 चौधरी, अधिवक्ता।

राज्य के लिए :– ए0पी0पी0।

ओ0पी0 संख्या–2 के लिएः–श्री पांडे नीरज राय, अधिवक्ता।

04 / दिनांकः 08 / 12 / 2017

दो अपीलकर्त्ताओं ने भा0दं0सं0 की धाराएँ 323, 354, 379, 452, 504 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 14–ए के तहत कुण्डा थाना काण्ड संख्या–50 / 2013 से उद्भूत ए0बी0पी0 सं0–712 / 2017 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश–I, देवघर द्वारा पारित दिनांक 10.08.2017 के आदेश से व्यथित एवं असंतुष्ट होकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण)

संशोधन अधिनियम की धारा 14–ए के तहत अपील दाखिल किया है जिसके द्वारा एवं जिसके तहत विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्त्ताओं की अग्रिम जमानत प्रार्थना खारिज कर दिया है।

अपीलकर्त्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि पहले भी विपक्षी पक्षकार सं0–2 द्वारा भा0दं0सं0 की धारा 457/380 के तहत जसीडीह थाना काण्ड सं0–321/2012 दर्ज किया गया था, जिसमें अपीलकर्त्ताओं का नाम एफ0आई0आर0 में आ रहा था और पुलिस ने मामले को असत्य पाते हुए सूचक के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 182/211 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए दिनांक 28.02.2013 को आरोप पत्र सं0–29/2013 दाखिल किया।

विद्वान ए0पी0पी0 के साथ–साथ विपक्षी पक्ष सं0–2 के विद्वान अधिवक्ता ने भी जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया है।

चाहे जैसा भी हो, ए0बी0ए0 सं0–712/2017 में पारित दिनांक 10.08.2017 का आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है।

अपीलकर्त्ताओं को इस आदेश की तारीख से चार सप्ताह के भीतर निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने के लिए निर्देशित किया जाता है और उनकी गिरफ्तारी अथवा आत्मसमर्पण की स्थिति में, निचली अदालत द्वारा दं0प्र0सं0 की धारा 438 (2) के अधीन यथा अधिकथित शर्तों के साथ अध्यधीन कुण्डा थाना काण्ड सं0–50/2013, जी0आर0 सं0–836/2013 के संबंध में अपर सत्र न्यायाधीश–I, देवघर की संतुष्टि के प्रति समान राशि की दो प्रतिभूतियों के साथ प्रत्येक द्वारा 10,000/– (दस हजार) रूपयों का जमानत बंध पत्र प्रस्तुत करने पर उक्त नामित अपीलार्थियों को रिहा किया जाये।

अपील अनुज्ञात की जाती है।

आदेश की एक प्रति निचली अदालत को भेजी जाए।

ह0

(अनंत बिजय सिंह, न्याया0)